



कार्यालय प्राचार्य
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कर्वडा
 सरोदा बांध रोड, ग्राम-तारो खैरबना जिला - कबीरधाम (छ.ग.) पिन-491995



Email- itikwrd@rediffmail.com Mob. 7772974779 , 9713374622

कं./औ.प्र.सं./कर्वडा/स्थाप/मेह.प्रव./2022/ 1262 /कर्वडा, दिनांक 07/11/2022

//विज्ञप्ति//

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग क्षेत्र दुर्ग के आदेश कमांक-संसंप्र/क्षेत्र/दुर्ग/स्थाप/मेह.प्रव.अनु/2022/ 980/दुर्ग दिनांक 04/11/2022 के अनुसरण में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कर्वडा, जिला - कबीरधाम में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध विभिन्न व्यवसायों / विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2022 - 23 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 30/11/2022 को अपराह्न 5:00 बजे तक है। स्पीड/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। पदों की जानकारी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं एवं निर्धारित मापदंड एवं दिनांक निम्नानुसार है-

1. रिक्त पदों की जानकारी:-

सरल कमांक	व्यवसाय/विषय का नाम	औप्रसं का नाम
1	विद्युतकार	शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कर्वडा (01 पद)

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:-

कमांक	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएं (वर्तमान प्रचलित सेवा भर्ती नियम के अनुसार)
1	विद्युतकार	<ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। अभ्यर्थी सम्बद्धित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण। अभ्यर्थी, जो डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई. / सी.टी.आई. / एन. व्ही.टी.आई. / आर.व्ही.टी.आई. / आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो।

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया:-

- जिन पदों के लिये सी.टी.आई. / ए.टी.आई. आवश्यक हैं, उन पदों के लिये एक वर्षीय सी.टी.आई. / ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (परीक्षा) की अंक-सूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।



- 2). सी.टी.आई / ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।
- 3). जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान (एल.एम.व्ही.) का वैध लाईसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4. नियम एवं शर्तेः—

- 1). आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप, कार्यालय प्राचार्य, शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा, ग्राम – तारो, खैरबना जिला—कबीरधाम से प्राप्त किया जा सकता है, एवं आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कवर्धा, ग्राम तारो, खैरबना जिला – कबीरधाम पिन कोड—491995 को ही किया जाना है। लिफाफे के उपर व्यवसाय/विषय एवं संस्था का नाम (जिस संस्था हेतु आवेदन किया जा रहा है) लिखना अनिवार्य है।
- 2). आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों को भली – भाँति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
- 3). आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होगा एवं अवकाश की कोई पात्रता नहीं होगी।
- 4). प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा, अनुभव आवश्यक नहीं है।
- 5). प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। सीटीआई/ एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी।
- 6). मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- 7). पदों की संख्या घटाई—बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।
- 8). वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा ही जमा किया जा सकता है। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 9). पृथक पृथक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये पृथक पृथक आवेदन जमा करना होगा।
- 10). सी.टी.आई./ ए.टी.आई. अथवा अर्हकारी तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है।
- 11). व्यवसाय स्टेनोग्राफर सेकेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) एवं स्टोनोग्राफर सेकेट्रियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) में प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रतिमिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनट योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकते हैं, इसी प्रकार एम्प्लायबिलिटी स्किल में निर्धारित योग्यता के आवेदन न हो तो बीएड आदि के मामले में संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्धारित योग्यता को शिथिल कर सकेंगे।
- 12). चयन तकनीकी योग्यता की मेरिट के आधार पर होगा। चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर चर्चा की जायेगी।
- 13). मेरिट चयन सूची अनुमोदन पश्चात ही दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित कर प्रशिक्षण पूर्ण कराया जायेगा। किसी प्रकार की नियुक्ति पत्र नहीं दिया जायेगा।



- 14). आमंत्रित उम्मीदवारों के पद के विरुद्ध यदि शासन द्वारा नियमित / स्थानांतरित / संविदा कर्मचारी की पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 15). मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घण्टे 125 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घण्टे, अधिकतम 13000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देय होगा। जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
- 16). यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं / व्यवसायों / विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जावेगा।
- 17). मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण संतोषप्रद नहीं होने या आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में सुनवाई का अवसर देते हेतु स्पष्ट कारण दर्शाते हुये प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
- 18). किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।


-----00-----

*प्राचार्य
काला औ प्रशिक्षण संस्था, कवर्धा
प्रिला-कबीरधाम (छ.ग.)*



नियम एवं शर्ते –

1. ए.टी.आई. / सी.टी.आई. उत्तीर्ण आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की अभिप्रामाणित छायाप्रति सहित आवेदन पत्र दिनांक 30/11/2022 तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कर्वर्धा जिला कबीरधाम में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. उम्मीदवार का नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो निर्धारित स्थान पर चिपका हुआ एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रामाणित होना चाहिए।
4. आवेदन पत्र रिक्त पदों के विरुद्ध व्यवसायवार / विषयवार अलग-अलग जमा करना होगा।
5. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए गए आवेदन के संबंध में उम्मीदवार को कोई सूचना नहीं दी जावेगी तथा ऐसे आवेदनों को अमान्य कर दिया जावेगा।
6. उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। इनमें आरक्षण संबंधित कोई नियम लागू नहीं होंगे एवं अवकाश की कोई पात्रता नहीं होगी।
7. चयन मेरिट के आधार पर होगा। चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी।
8. चयनीत आवेदकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जावेगा। दूरभाष आदि द्वारा सूचना के आधार पर आमत्रण स्थीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न करना होगा।
9. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर के निदेशनानुसार पढ़ाने/प्रशिक्षण देने हेतु प्रतिघंटा 125 रुपये की दर से अधिकतम 5 घंटे प्रतिकार्य दिवस हेतु मानदेय दिया जावेगा जो अधिकतम 13000 रु. प्रतिमाह होगा।
10. शासन द्वारा रिक्त पदों के नियमित / संविदा नियुक्ति / स्थानांतरित कर्मचारी की पद की स्थापना होने पर मेहमान प्रवक्ताओं की यह नियुक्ति स्वयमेव समाप्त हो जावेगी।
11. चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण सम्पन्न कराने रिक्त पद की पूर्ति तक के लिए ही आमंत्रित किया जावेगा।


प्राचार्य नोडल (औ.प्र.सं.)

शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कर्वर्धा

जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

